

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - कपूर शंकर मान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या <b>046/2019</b> (RCMS 2019/00135)	दायर दिनांक <b>03.07.2019</b>	निर्णय दिनांक <b>14.08.2019</b>
---	----------------------------------	------------------------------------

### अनवान

1. श्री नाथुलाल पिता लालुराम जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी रुद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

### प्रार्थीगण

#### बनाम

1. श्री काशीराम पिता मिठु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रुद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री नारायण लाल पिता एकलिंग जाति धोबी आयु वयस्क निवासी रुद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री रामेश्वर पिता फुलचन्द्र जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी रुद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

### अप्रार्थीगण

उपरिस्थिति :- अधिवक्ता श्री राजमल सुखवाल प्रार्थी।  
एक तरफा अप्रार्थीगण।

-:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0भू-राजस्व अधिनियम ::-

### -:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना-पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रुद पटवार हल्का रुद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 231 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1228 कुल किता 01 रकबा 2.01 बीघा-बिस्वा लगानी 5.64 रूपये भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाशत की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जा कर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया।



दिनांक 14.08.2019 को अप्रार्थीगण को नोटिस तामील होने के बावजूद हाजिर नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस एक तरफा हेतु निवेदन किया जाकर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र को एक तरफा सुना गया। पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी संख्या 1, आराजियात जैर बहस के खातेदार काशतकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी संख्या 1, प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काशतकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राज0भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार राशमी को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के जरिये तहसीलदार राशमी आदेश दिया जाता है कि मौजा रुद पटवार हल्का रुद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 231 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1228 कुल किता 01 रकबा 2.01 बीघा-बिस्वा लगानी 5.64 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार मौके पर फसल खड़ी ना हो तो नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन(पत्थरगढी) से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सीमांकन हेतु निर्धारित राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से वसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया जावे। तहसीलदार राशमी को तहरीर जारी करे।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक को 14.08.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपूर शंकर मान)  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौड़गढ़**

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(46)2019/14.08.2019

दिनांक 14 अगस्त, 2019

निमित्त,

भू-अभिलेख निरीक्षक,  
वृत्त रुद  
जरिये तहसीलदार, राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

**अनवान**

1. श्री नाथु पिता लालु जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी रुद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

**प्रार्थीगण****बनाम**

1. श्री काशीराम पिता मिठु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रुद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री नारायण लाल पिता एकलिंग जाति धोबी आयु वयस्क निवासी रुद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
3. रामेश्वर पिता फुलचन्द्र जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी रुद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र संख्या :- 046/2019

**--:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::--**

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको आदेशित किया जाता है कि मौजा मौजा रुद पटवार हल्का रुद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ की आराजीयात आराजी संख्या 1228 कुल किता 01 रकबा 2.01 बीघा-बिस्वा कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार मौके पर फसल खड़ी ना हो तो नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन(पत्थरगढ़ी) से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सीमांकन हेतु निर्धारित राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से वसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया जावे।

(कपूर शंकर मान)  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

